आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

करण संख्या 120/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

को बैंक, शाखा कार्यालय– टोंक रोड़, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/ बैंक

बनाम

मैसर्स डी.जी. कॉर्प(पार्टनरशिप फर्म) जरिये पार्टनर्स श्री धर्मेन्द्र कुमार वाधवानी एवं श्री राजकुमार दातवानी,
पताः– 625, जयपुर इलेक्ट्रोनिक्स मार्केट, रिद्धी सिद्धी स्वीट्स के पास, मानसरोवर लिंक रोड़, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

श्री धर्मेन्द्र कुमार वाधवानी पुत्र श्री घनश्याम दास वाधवानी,
पताः– फ्लेट नं. जी–1404, जी–ब्लॉक, महिमा एलान्ज, पत्रकार कॉलोनी के पास, सांगानेर बाजार, सांगानेर, जयपुर।

श्री राजकुमार दातवानी पुत्र श्री नारायण दास दातवानी,
पताः– 111/127, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

स्थित :–

1. रीना वर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 09.01.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार वाधवानी के स्वामित्व की संपत्ति दुकान नं. 02, स्टिल्ट फ्लोर, आस्था सेज व्यू ग्रुप हाऊसिंग, प्लॉट नं. 523 एवं 524, ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 1692 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 01.02.2021 को राशि 49,00,000/– रूपये एवं दिनांक 07.12.2021 को 13,00,000/– रूपये राशि, कुल राशि 62,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 62,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 59,61,668.95/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.08.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार वाधवानी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति दुकान नं. 02, स्टिल्ट फ्लोर, आस्था सेज व्यू ग्रुप हाऊसिंग, प्लॉट नं. 523 एवं 524, ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 1692 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner